

**प्रपत्र VI 'क'**  
**झारखण्ड सरकार**  
**समाहरणालय, खूँटी**  
(जिला भू-अर्जन शाखा)

पत्रांक:-09(i)

दिनांक:-01.02.2020

**प्रारंभिक अधिसूचना**

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम पोढ़ा भाग II थाना- कर्रा थाना सं0 73 अंचल कर्रा जिला खूँटी** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **हटिया बंडामुण्डा रेलवे लाईन दोहरीकरण परियोजना हेतु Railway के लिए** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम पोढ़ा भाग II थाना- कर्रा थाना सं0 73 अंचल कर्रा जिला खूँटी** के भीतर उपर्युक्त परियोजना के लिए कमोबेश 2.087 एकड़ यानि 0.84493927125 हेक्टेयर मानक माप का भू-खण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित अर्जनाधीन है।

**ग्राम पोढ़ा भाग II थाना- कर्रा थाना सं0 73 अंचल कर्रा जिला खूँटी का विस्तृत विवरणी**

क्र0 सं0	खाता संख्या	सर्वे भू-खण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (ए0)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खण्ड संख्या) उ0,द0,पू0,प0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	113	11	बकास्त भूइहरी मुण्डई	टाड़ 2	0.211	सुनील होरो पिता जकरियस होरो (मुण्डा) ग्राम पोढ़ा	उ0-सिवाना द0-15 पु0-11 प0-11
2	29	15	मझीयस मालिक	टाड़ 2	0.189	देवपाल सिंह पिता-स्व0 लेदवा सिंह ग्राम पोढ़ा	उ0-11 द0-35 पु0-14 प0-निज
3	48	35	मझीयस मालिक	टाड़ 2	0.182	दुर्गा सिंह पिता-सत्येन्द्र सिंह वगै0 शिव प्रसाद सिंह ग्राम पोढ़ा	उ0-15 द0-36 पु0-14 प0-निज
4	38	36	मझीयस मालिक	टाड़ 2	0.147	बैजनाथ सिंह वगै0 पिता-स्व0 चुडामणी सिंह ग्राम पोढ़ा	उ0-35 द0-37 पु0-रास्ता प0-निज
5	1	37	मझीयस मालिक	टाड़ 2	0.145	कुलेश्वर सिंह , शर्मा सिंह पिता-स्व0 राम गोपाल सिंह ग्राम पोढ़ा	उ0-36 द0-819 पु0-रास्ता प0-निज
6	49	819	बकास्त मालिक	टाड़ 2	0.170	शिव प्रसाद सिंह वगै0 , पुरन सिंह वगै0 ग्राम पोढ़ा	उ0-37 द0-31 पु0-रास्ता प0-निज

7	48	41	मझीयस मालिक	टाड़ 2	0.370	शिव प्रसाद सिंह वगै० , पुरन सिंह वगै० ग्राम पोढा	उ०-819 द०-31 पु०-रास्ता प०-निज
8	40	31	बकास्त मालिक	टाड़ 2	0.210	बैजनाथ सिंह वगै० पिता-स्व० चुडामणी सिंह ग्राम पोढा	उ०-41 द०-43 पु०-निज प०-निज
9	40	43	बकास्त मालिक	दोन 3	0.064	बैजनाथ सिंह वगै० पिता-स्व० चुडामणी सिंह ग्राम पोढा	उ०-42 द०-5 पु०-निज प०-31
10	85	56	बकास्त भूइहरी पहनई	टाड़ 2	0.112	सत्येन्द्र सिंह वगै० दुर्गा सिंह वगै०गाम पोढा	उ०-31 द०-55 पु०-54 प०-निज
11	97	181	बकास्त मालिक	टाड़ 2	0.003	विजय साहु वगै० पिता-स्व० महेन्द्र साहु ग्राम लोयंकल	उ०-147 द०-182 पु०-146 प०-निज
12	115	197	बकास्त भूइहरी मुण्डई	टाड़ 2	0.136	पतरस होरो , झीगो होरो वगै० ग्राम पोढा	उ०-182 द०-195 पु०-निज प०-निज
13	108	198	बकास्त भूइहरी मुण्डई	टाड़ 2	0.026	सुखराम मुण्डा वगै० पिता-स्व० मना होरो ग्राम पोढा	उ०-197 द०-196 पु०-197 प०-निज
14	115	196	बकास्त भूइहरी मुण्डई	टाड़ 2	0.003	पतरस होरो , झीगो होरो वगै० पति स्व० रतनु होरो ग्राम पोढा	उ०-198 द०-195 पु०-194 प०-निज
15	115	195	बकास्त भूइहरी मुण्डई	मसना	0.007	पतरस होरो , झीगो होरो वगै० पति स्व० रतनु होरो ग्राम पोढा	उ०-196 द०-194 पु०-194 प०-निज
16	115	194	बकास्त भूइहरी मुण्डई	टाड़ 2	0.104	पतरस होरो , झीगो होरो वगै० पति स्व० रतनु होरो ग्राम पोढा	उ०-195 द०-342 पु०-निज प०-196
17	107	199	बकास्त भूइहरी मुण्डई	टाड़ 2	0.008	मरकुस होरो वगै० पिता स्व० टेपसा मुण्डा ग्राम पोढा	उ०-194 द०-342 पु०-194 प०-निज
				<b>कुल</b>	<b>2.087</b>		

यह अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा 11(1) के उपबन्धों के

अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि की योजना/ नक्शा का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। समाहर्ता उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूँटी और उसके कर्मचारी को प्राधिकृत करते हैं।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अन्तरण यथा क्रय विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवायेगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम का धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।



उपायुक्त,  
खूँटी।